न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल आर ए एस

1. चंदा देवी पत्नी दिनेश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दांतिया तहसील कठूमर जिला अलवर (राज0)।

--------सायल

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)।

----- गैरसायल

प्रार्थना–पत्र 136 एल आर एक्ट 1956

आदेश

दिनांक :– 07.07.2025

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना–पत्र पेश कर बताया कि आराजी खसरा संख्या 802 / 1607 रकबा 0.23 हैक्टे0. वाके ग्राम दांतिया तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का नाम चन्द्रकान्ता दर्ज है जबकि प्रार्थीया का सही नाम चंदा देवी है। प्रार्थीया ने अपने नाम को शुद्ध करवाने हेतु अपने नाम चन्द्रकान्ता के स्थान पर चंदा देवी दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थीया ने 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, ग्राम पंचायत दांतिया की रिपोर्ट, स्वयं का आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड पेश किया है। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट में प्रार्थीया चन्द्रकान्ता पत्नी दिनेश चन्द शर्मा के स्थान पर चंदा देवी पत्नी दिनेश चन्द शर्मा दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, सायल द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार कठूमर द्वारा की गई अनुशंषा का अवलोन किया। सायला के प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत दांतिया की रिपोर्ट, स्वयं का आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड से आराजी ख. नं. 802 / 1607

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

रकबा 0.23 हैक्टे0 वाके ग्राम दांतिया तहसील कठूमर में चन्द्रकान्ता पत्नी दिनेश चन्द शर्मा के स्थान पर चंदा देवी पत्नी दिनेश चन्द शर्मा दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 802/1607 रकबा 0.23 हैक्टे. वाके ग्राम दांतिया तहसील कठूमर में चन्द्रकान्ता के स्थान पर चंदा देवी दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते हैं एवं उक्तनुसार जमाबंदी में संशोधित इन्द्राज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम सुंदर चेतीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०